छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-14

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019
(फाल्गुन 1, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरूण वोरा अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बघेल लखेश्वर के स्थान पर श्री दीपक बैज, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (31 दिसम्बर, 2018) एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखा ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के नाम पर जुर्माना वसूल किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने गोबरा-नवापारा नगरपालिका एवं अभनपुर नगर पंचायत में पेयजल समस्या होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री केशव प्रसाद चंद्रा
(3) श्री गुलाब कमरो
(4) श्री प्रमोद कुमार शर्मा

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री रामकुमार यादव
(2) श्री डमरूधर पुजारी
(3) श्री सौरभ सिंह
(4) श्री विनय कुमार भगत
(5) श्री कुंवर सिंह निषाद

7. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-64, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-68, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27 एवं सहकारिता से संबंधित मांग संख्या-17 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-82 पर श्री अजय चंद्राकर, मांग संख्या-33 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, मांग संख्या-41 पर सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, मांग संख्या-42 पर श्री अजय चंद्राकर, मांग संख्या-49 पर श्री अजय चंद्राकर, मांग संख्या-53 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, मांग संख्या-64 पर श्री अजय

चंद्राकर, मांग संख्या-66 पर श्री अजय चंद्राकर, मांग संख्या-68 पर श्री अजय चंद्राकर, मांग संख्या-15 पर श्री अजय चंद्राकर, मांग संख्या-83 पर सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, मांग संख्या- 27 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू एवं मांग संख्या-17 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

8. बजट पुस्तिका में संशोधन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग की मांग संख्या-27, बजट पुस्तिका क्रमांक-20 के मुख्य शीर्ष 4202 में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये ।

9. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

10. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019, को मायाराम सुरजन फाउण्डेशन द्वारा नेशनल फाउण्डेशन फॉर इंडिया, नई दिल्ली के सहयोग से माननीय सदस्यों के लिए अपराहन 01.00 बजे से विधान सभा परिसर स्थित डॉ.श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य प्रथम विषय पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि स्वास्थ्य प्रथम परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभान्वित होवें।

(01.01 बजे से 3.01 बजे तक अन्तराल)

11. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री अजय चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृहस्पत सिंह, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री देवव्रत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, गुलाब कमरो, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. प्रीतम राम

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम-5 का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री भीमा मण्डावी, अमरजीत भगत, लालजीत सिंह राठिया,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, चक्रधरसिंह सिदार,श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री डमरूधर पुजारी, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती ममता चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-2, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा